03

आयोजनागत

संख्याः 1443 /XI/2011- 56(23)2006

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग देहरादून , दिनांक 31 अक्टूबर, 2011

विषयः– उत्तराखण्ड सार्वभौम रोजगार योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1851/5–लेखा/99 /उ.सा.रो.यो. / 2011–12 दिनॉक 5.9.2011 के संदर्भ में तथा शासनादेश सख्या **संख्याः 944/XI/2011- 56 (23) 2006 दिनांक 30.5.2011 के अनुकम में** मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत सार्वभौम रोजगार योजना के सुचारू संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 97.40 लाख (रूपये सत्तानबे लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में आपके निर्वतन पर निम्नॉकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रखते हुए नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि, की फांट आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा अविलम्ब कर धनराशि संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नियमानुसार व्यय हेतु रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

2– प्रश्नगत धनराशि को योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्ययोजना तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त ही आहरित किया जाय । धनराशि का जनपदवार विभाजन आपके स्तर से किया जायेगा । धनराशि का आहरण परिव्यय की सीमा तक ही किया जाय । धनराशि के दोहरे आहरण के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

3– योजना हेतु धनराशि का आवंटन वर्तमान नियमों /आदेशों तथा योजना के लिये निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा । धनराशि का किसी भी दशा में व्ययावर्तन नही किया जायेगा ।

4– योजना हेतु अतिरिक्त धनराशि की मांग से पूर्व आवंटित धनराशि का कम से कम 75 प्रतिशत उपभोग किया जाय। वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र लाभार्थियों की सूची के साथ उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। धनराशि का आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जायेगा ।

5. योजना का संचालन योजना के संबंध में जारी मार्ग निर्देशों के अनुसार किया जायेगा ।

6. योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार के सम्वन्ध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अन्य योजनाएं भी संचालित की जा रही है। अतः इस बात का विशेष घ्यान रखा जाय कि एक योयजना के लाभार्थी की पुनरावृत्ति (Duplicacy) दूसरी योजना में कदापि न होने पाये। इस हेतु प्रत्येक योजना की अलग अलग इन्वेन्ट्री तैयार कर सदैव तत्परता से अद्यतन करते हुये रखी जायेगी ।

7.. कार्य कराते समय बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका ,स्टोर पर्चेज रूल्स, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति/ प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2008 तथा शासन के विद्यमान नियमों /आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

8.. योजना की धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो , उनमें व्यय करने से पहले एसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

9.. स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाय और प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय संबंधी सूचना अद्यतन करते हुए सूचना, स्वीकृतियों की प्रति सहित निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

10. योजना में आवंटित धनराशि से नियमानुसार निर्धारित अनुपातिक आधार पर 19 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 4 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति 33 प्रतिशत महिलाओं एवं 3 प्रतिशत विकलांगों को लाभान्वित किया जायेगा ।

11. योजना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु नियमानुसार दिये जा रहे अंश का व्यय इन्ही जातियों के कल्याणार्थ कराये जा रहे विकास कार्यो पर ही किया जाय ।

12. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग दिनॉक 31.03.2012 तक करते हुए अवशेष अप्रयुक्त धनराशि को समयान्तर्गत समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

13. उपरोक्त प्रस्तर–01 से 12 तक में उल्लिखित सभी शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक,मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो द्वारा सुनिश्चित करते हुये ,यदि निर्धारित शर्तो एवं दिशा निर्देशों में विचलन होने की स्थिति में इसकी सूचना तत्काल वित्त विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

14. अगली स्वीकृति के समय अब तक स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विवरण बी0एम0–13तथा वित्तीय एवं भातिक प्रगति के विवरण उपलब्ध कराये जायेंगे ।

2– इस सम्वन्ध में होने वाला व्यय चालू **वित्तीय वर्ष 2011.12 के आय–व्ययक में प्राविधानित अनुदान सख्या –19 के लेखा शीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यकम –102 सामुदायिक विकास–आयोजनागत–09–उत्तराखण्ड सार्वभौम रोजगार योजना –50– सब्सिडी से रू0 75.00 लाख , अनुदान सख्या 30 के लेखा शीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यकम –102 सामुदायिक विकास–आयोजनागत–02अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनैन्ट प्लान –0208 –उत्तराखण्ड सार्वभौम रोजगार योजना –50– सब्सिडी से रू0 18.51लाख तथा अनुदान सख्या 31 के लेखा शीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यकम**

–796–जनजाति क्षेत्र उप योजना –आयोजनागत –08 –उत्तराखण्ड सार्वभौम रोजगार योजना –50– सब्सिडी से रू0 3.89 लाख वहन किया जायेगा तथा उपरोक्त लेखा शीर्षकों के नामे डाला जायेगा ।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 202 (P)/XXVII-4/ 2011 दिनॉक 24 अक्टूबर ,2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
अपर सचिव ।

संख्याः 1443 (1) /XI/2010- 56(23)2003 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) कार्यालय महालेखाकार, वैभव पैलेस, सी–1,/105, इन्दिरा नगर, देहरादून।
2– महालेखाकार, (ए एण्ड ई), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर, रोड़, माजरा, देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय देहरादून ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7.– निदेशक, कोषागार एवं वित्त लेखा, उत्तराखण्ड।
8– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
10– निजी सचिव, मा0 मंत्री, मा0 ग्राम्य विकास,मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
11– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
12– नियोजन विभाग/वित्त विभाग, समाज कल्याण एवं नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
13– वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन ।
14– गार्ड फाईल

आज्ञा से,
31/10/2011
(बृजेश कुमार सन्त)
अपर सचिव